## एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ जप्ती पत्रक

इकाई बिलासपुर (छ.ग.) थाना - एसीबी / इओडब्ल्यू. रायपुर -

धारा- 120 बी, 109 भा.दि.वि. एवं 13 अपराध कमांक - 0/2015 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988

दिनॉक व समय जप्ती 12.02.2015 के 21.00 बजे

आरोपी का निवास स्थान कालिंद कुंज स्थान मकान नंबर 19 (प्लाट नंबर 19) कबीर चौंक के आगे रायगढ़।

नाम आरोपी खीरसागर पटेल पिता श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 40 वर्ष जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (क्यू.आई.) निवासी कालिंद कुंज मकान नंबर 19 (प्लाट नंबर 19) कबीर चौंक के आगे रायगढ़।

नाम पंचसाक्षी 1. श्री बी. एस. मरकाम उम्र 50 वर्ष

डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय रायगढ़ 2. श्री अनिल कुमार शराफ उम्र 49 वर्ष व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय चक्रधरनगर रायगढ़।

विवेचक प्रमोद कुमार खेस निरीक्षक, एन्टी करणान ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर।

विवरण

आरोपी खीरसागर के मकान की तलाशी के दौरान कमरों के विभिन्न स्थानों से नगदी नोट कुल 2,47,800 / रुपये बरामद हुए हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1.	1000 / रूपये के 50 नोट	
2		50,000.00 रूपये
2.	500 / रूपये के 346 नोट	1,73,000.00 रूपये
3.	100 / रूपये के 248 नोट	
		24,800.00 रूपये
	कुल	2,47,800.00 रूपये

उक्त कुल रकम 2,47,800 / रुपये को पंचानों के समक्ष विधिवत जप्त कर एक काले 'रंग की बैग में सुरक्षित रखा गया।

हस्ताक्षर गवाहान

हस्ताक्ष्म आरोपी जिससे जप्त किया गया